

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेशचंद जैन, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 52/2018

RCMS No. 2018/00327

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण:-
विकास अधिकारी पंचायत समिति जैतारण, जिला पाली		1. ग्राम पंचायत राबडियावास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत राबडियावास, तहसील जैतारण, जिला पाली 2. दयाल पुत्र प्रभूजी जाति जंगलिया, निवासी राबडियावास, तहसील जैतारण, जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम
उपस्थिति -

प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम पंचारिया।

—: निर्णय :-

दिनांक:- 17-2-20

यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरुद्ध ग्राम पंचायत राबडियावास की मिसल संख्या में पारित ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 10.06.1992 जो प्रस्ताव संख्या दिनांक 10.06.1992 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 10948 दिनांक 10.06.1992 को निरस्त कराने बाबत प्रस्तुत किया गया है। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत के पत्रांक प.18/40 दिनांक 16.07.2018 के अनुसार और निगरानी पट्टा सम्बन्धी किसी प्रकार का रेकॉर्ड नहीं होने का लिखने तथा अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अधिवक्ता सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टा बाबत पंचायत द्वारा न तो किसी प्रकार का प्रस्ताव लिया गया न मिसल कायम की गई न ही किसी प्रकार का आवेदन ही प्राप्त किया गया है इस प्रकार बिना विधिक कार्यवाही को अमल में लाये ही जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जो पंचायत नियमों की पालना किये बिना जारी करने से निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

वकील प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि उक्त निःशुल्क आवासीय जैर निगरानी पट्टा संख्या 10948 तहसील जैतारण के द्वारा जारी अतिक्रमण हटाने के आदेश क्रमांक सम/1837-1945 दिनांक 6.12.2017 के अनुसार गोचर भूमि खसरा नम्बर 247 एवं 189 में जारी किया गया है जो ग्राम पंचायत राबडियावास की नुजुल आबादी भूमि नहीं है।

जिला कलेक्टर, पाली


तथा गोचर भूमि को बिना आवासीय प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकृत अधिकारी से आबादी भूमि घोषित का पंचायत के हक में आदेश कराये बिना पंचायत पट्टा जारी नहीं कर सकती है। उक्त प्रकरण में ऐसा नहीं कर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के हक में गोचर भूमि में ही पट्टा जारी कर दिया जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर डी बी सिविल रिट संख्या 2910/2017 के अनुसार निर्णय में अंकित उक्त खसरा नम्बर 247 व 187 गै०मु० गोचर से जैर निगरानी विधि विरुद्ध जारी पट्टे की आराजी से अतिक्रमण हटाने की पालनार्थ तहसीलदार द्वारा दल गठन कर भेजे गये उसके समक्ष यह पट्टे पेश किए गये, जो अवैधानिक रूप से गै०मु० गोचर में जारी किए हुए पाये जाने से उक्त पट्टे निरस्त करवाकर ही गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की पालना की जा सकती है। ऐसी स्थिति में जैर निगरानी पट्टा विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी की बहस को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया जैर निगरानी पट्टे बाबत ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत राबडियावास द्वारा दिनांक 16.07.2018 को ही इस आशय का प्रमाण पत्र जारी कर दिया था कि जैर निगरानी पट्टा संबधी किसी प्रकार का रेकर्ड पंचायत में नहीं है, बैठक कार्यवाही रजिस्टर भी नहीं है, न ही कोई मिसल कायम की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति व श्रमिक तथा कारीगरों के आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन किया जाता है तो इस के लिए नूजूल आबादी भूमि होना एवं उस ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लिया जाना आज्ञापक प्रावधान है, जबकि जैर निगरानी पट्टा प्रकरण में ऐसा कुछ भी प्रस्ताव नहीं लिया गया है। न ही नूजूल आबादी भूमि है इस कारण भी पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित है। जैर निगरानी भूमि बाबत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 2910/2017 में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2017 एवं उसकी पालनार्थ तहसीलदार जैतारण द्वारा कमेटी गठन आदेश क्रमांक सम/1832-1845 दिनांक 6.12.2017 के में भी उक्त आराजी को गोचर भूमि होना मानते हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किये हैं तथा उक्त पट्टे संबधी आराजी पर अतिक्रमण हटाने के लिए गई टीम के समक्ष वैधानिक बाधा उत्पन्न होने के कारण जैर निगरानी पट्टा निरस्त किया जाना विधि सम्मत है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर जैर निगरानी पट्टा संख्या 10948 जो ग्राम पंचायत राबडियावास द्वारा दिनांक 10.6.1992 को अप्रार्थी संख्या 02 दयाल पुत्र प्रभू जी जंगलिया निवासी राबडियावास के हक में निःशुल्क आवासीय प्रयोजनार्थ जारी किया गया उसे निरस्त किया जाता है निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दिनेशचंद्र जैन)

जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

